अध्याय 4

सर्वेक्षण प्रक्रिया में दक्षता और मितव्ययिता

ओआईएल की सर्वेक्षण प्रक्रिया जिसमें अधिग्रहण, प्रसंस्करण और डॉटा की व्याख्यात्मकता (एपीआई) शामिल है की दक्षता और मितव्ययिता की जाँच करने के लिए लेखापरीक्षा ने सर्वेक्षण के दौरान ओआईएल द्वारा किए गए कार्यो की समीक्षा की जिसे अन्वेषण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। चूंकि ओआईएल द्वारा भूकम्पीय डॉटा 2डी/3डी सर्वेक्षण के माध्यम से अपने स्वयं के सर्वेक्षण उपकरण (इन हाऊस) के साथ साथ ठेकागत भाड़े पर लेने के द्वारा संग्रहित किया जाता है, लेखापरीक्षा ने सर्वेक्षण ठेकों की समीक्षा, ठेकों के प्रबंधन में कमियां, जिनके कारण नामांकन ब्लाकों में विलम्ब और कमियां और एनईएलपी ब्लाकों में एमडब्ल्यूपी की कम प्राप्ति हुई, बताने के लिए की।

4.1 अधिग्रहण, प्रसस्करण और भूकम्पीय डॉटा की व्याख्या में गिरावट

ओआईएल एपीआई के लिए अपने बीई और आरई लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान बीई और आरई लक्ष्य और एपीआई के वास्तविक तालिका 4.1 में और बाद के आंकड़े 4.1 और 4.2 में दिए गए है।

तालिका 4.1 - 2डी और 3डी एपीआई लक्ष्य और वास्तविक

वर्ष	2डी				3डी			
	बीई लक्ष्य (एलकेएम)[20]	आरई लक्ष्य (एलकेएम)	वास्तविक (एलकेएम)	आई लक्ष्य के प्रति आधिक्य/ (गिरावट) (एलकेएम)	बीई (वर्ग किमी.)[21]	आर ई (वर्ग किमी.)	वास्तविक (वर्ग किमी.)	आधिकय/कमी (गिरावट) (वर्ग किमी.)
2009-10	2325	1715	1308	(407)	2065	1002	984	(18)
2010-11	1260	1182	1149	(33)	1698	661	619	(43)
2011-12	2090	1317	1397	80	1767	1767	1838	71
2012-13	470	500	224	(276)	1570	1925	1795	(130)
2013-14	200	490	499	9	500	718	928	210
जोड़	**6345**	**5204**	**4577**	**(627)**	**7600**	**6073**	**6164**	**91**

सोत्र: 2009-10 से 2013-14 के लिए आईओएल की वार्षिक योजना

[20] लाइन किलोमीटर

[21] वर्ग किलामीटर

चित्र 4.1 – भूकम्पीय सर्वेक्षण का वर्ष वार लक्ष्य और वास्तविक

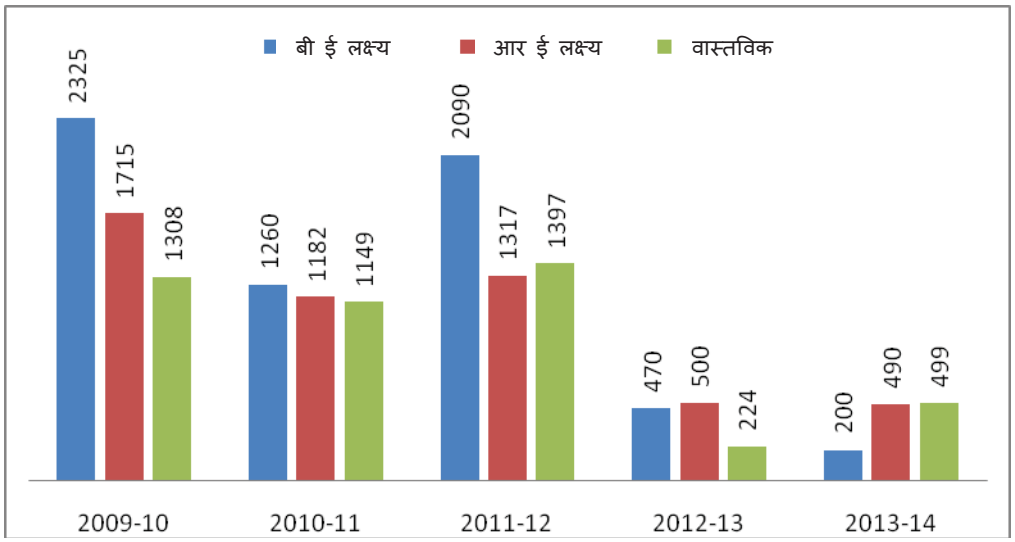

चित्र **4.2 – 3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण का वर्ष वार लक्ष्य और वास्तविक**

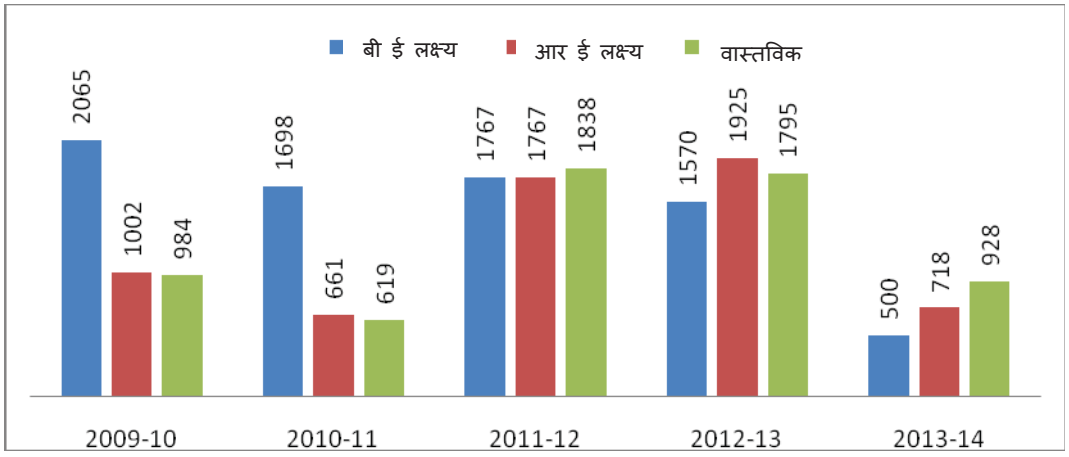

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- आईओएल ने वर्ष 2011-12 और 2013-14 को छोड़कर संशोधित योजना लक्ष्य के संबंध में 2 डी सर्वेक्षण के अपने स्वंय के लक्ष्य प्राप्त नही किए थे। इसी प्रकार, इसने 2009-10, 2010-11 और 2012-13 के लिए 3 डी में अपने स्वंय के लक्ष्य प्राप्त नही किए थे।
- 2009-10 से 2013-14 में 2 डी के प्रति गिरावट 3 से 55 प्रतिशत थी और इसी अवधि के दौरान 3 डी में गिरावट 2 से 7 प्रतिशत के बीच थी।
- आईओएल ने 2009 - 10 में प्रबल रूप से अपने 2 डी और 3 डी संशोधित योजना लक्ष्य अपने योजना लक्ष्यों से कम कर दिए थे। इसके अतिरिक्त आईओएल ने 2011-12 में 2 डी लक्ष्य और 2010-11 में 3 डी लक्ष्य तेजी से कम कर दिए थे।

- 11 वें और 12 वें पंचवर्षीय योजना के लिए 2 डी और 3 डी के लिए योजना आयोग के लक्ष्यों की तुलना करते समय लेखापरीक्षा ने देखा कि ओआईएल के 2 डी/3 डी लक्ष्य लगभग 11 वीं पंच वर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के लक्ष्यों के अनुरूप थे। तथापि, ओआईएल ने 12 वीं पंच वर्षीय योजना के पहले दो वर्षो में 2 डी और 3 डी दोनों के लक्ष्यो में प्रबल रूप से कमी कर दी थी (योजना अायोग के लक्ष्यों से क्रमश: 2954 एलकेएम और 1521 वर्ग कि.मी. तक कमी जो क्रमश: 25 प्रतिशत ओर 63 प्रतिशत थी) और
- विभिन्न वर्षो में 2 डी और 3 डी के अन्तर्गत सर्वेक्षण में लगातार गिरावट के लिए बोर्ड के समक्ष मूल्यांकन और उपचारात्मक उपाय करने के लिए कारण अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि राजस्थान में, 2009-10 से 2013-14 के दौरान 2 डी सर्वेक्षण नहीं किया गया था और 3डी सर्वेक्षण के लिए निर्धारित योजना लक्ष्य के प्रति 59 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। कृष्णा - गोदावरी में मार्च 2014 को समाप्त पिछले पांच वर्षो के दौरान 2 डी और 3 डी सर्वेक्षणों के लिए योजना लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी क्रमश: 49 और 64 प्रतिशत थी। कावेरी में, ओआईएल 2 डी सर्वेक्षण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करने में विफल रहा जिसके प्रति 2009 -10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 2 डी सर्वेक्षण 511 एलकेएम किया गया था। ओआईएल ने बताया (जनवरी 2015) कि कावेरी के लिए निर्धारित लक्ष्यों को वार्षिक योजना में अनजाने में छोड़ दिया गया था।

लेखापरीक्षा तर्क स्वीकार करते समय आईओएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि बीई लक्ष्य के संदर्भ में 2 डी/3 डी डाटा अधिग्रहण में गिरावट मुख्यत: केजी और राजस्थान बेसिनों में थी। योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना में निर्धारित 2 डी/3 डी भूकम्पीय लक्ष्य बीई/आरई लक्ष्यों की तुलना में व्यापक लक्ष्य थे। नामांकित ब्लाकों में वास्तविक सर्वेक्षण विभिन्न प्रतिद्धताओं और आवश्यकताओं पर निर्भर करता हैं। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष बोर्ड को लक्ष्यों/उपलब्धियों के बारे में सूचित किया गया था। ओआईएल ने आगे बताया कि राजस्थान बेसिन मे कमी 2 डी ठेकों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण थी। केजी बेसिन में विलम्ब मुख्यत: पुदुचेरी सरकार से पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस और आरक्षित वन क्षेत्र के लिए वन अनुमति की प्राप्ति में विलम्ब के कारण था। ओआईएल ने आगे कहा (मई 2015) कि उन्होंने अपना स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करते समय सर्वेक्षण और ड्रिलिंग लक्ष्य के संबंध में एओयू और योजना आयोग के बीच कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया था।

ओआईएल का उत्तर संतोषजनक नही है, क्योंकि आईओएल को राष्ट्रीय हाइड्रोकार्बन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना आयोग के लक्ष्य के साथ अपने स्वयं के लक्ष्य को समकालिक बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एमओपीएनजी द्वारा ओआईएल के लिए निर्धारित लक्ष्य 12 वीं योजना अवधि के दौरान योजना आयोग के लक्ष्य के अनुरूप नही है।

जबकि योजना आयोग के लक्ष्य 5 वर्ष के स्केल पर व्यापक है, उन्हें समग्र हाइड्रोकार्बन परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एमओपीएनजी और ओआईएल के साथ परामर्श से निर्धारित किया गया था। यधपि लक्ष्यों और उपलब्धियों के सांख्यिकीय आंकड़े बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुंत किए गए थे किन्तु सर्वेक्षण में लगातार कमी के कारण मूल्यांकन और उपचारात्मक उपाय हेतु प्रस्तुत नही किए गए थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2 डी और 3 डी भूकम्पीय सर्वेक्षणों में कमी एपीआई चक्र में लिए गए अत्यधिक समय और संविदात्मक प्रबंधन में अन्य कमियों के कारण थी जैसा कि आगामी पेराग्राफों में विस्तृत विवरण दिया गया है।

4.2 एपीआई चक्र के लिए लिया गया अधिक समय

योजना के अनुसार अन्वेषण कार्यकलाप की पूर्णता के लिए आन्तरिक सर्वेक्षण उपकरण/संविदात्मक भाड़े पर लेने के माध्यम से डाटा का समय पर अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या आवश्यक है। एपीआई चक्र में विलम्ब का ई एवं पी कम्पनी के पास उपलब्ध कुल आन्तरिक अन्वेषण अवधि पर प्रपाति प्रभाव पड़ा।

4.2.1 आन्तरिक सर्वेक्षण

आन्तरिक सर्वेक्षण कार्य डॉटा के अधिग्रहण और प्रसंस्कण के लिए ओआईएल के भूभैतिकी विभाग द्वारा किया जाता है जबकि डॉटा की व्याख्या का कार्य भूवैज्ञानिक और रिजरवायर (जी एवं आर) विभाग द्वारा किया जाता है। अधिग्रहण कार्य के लिए फील्ड दिनों में मोबिलाइजेशन सर्वेक्षण कार्य, प्रायोगात्कम कार्य, उत्पादन कार्य, गैर उत्पादन कार्य और डीमोबिलाइजेशन दिन शामिल है।

2009-10 से 2013-14 के दौरान किए गए 26 आन्तरिक सर्वेक्षणों में से लेखापरीक्षा ने 23 सर्वेक्षण कार्यो की जांच की। 23 सर्वेक्षण कार्यो में से, 10 सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किए गए थे और 13 सर्वेक्षण कार्य नवम्बर 2014 तक प्रगति में थे (अनुबंध - ।।)। सर्वेक्षण में लिए गए समय के विश्लेषण से निम्न का पता चला:

- आन्तरिक सर्वेक्षण कार्य करने के लिए ओआईएल द्वारा कोई प्रतिमान निर्धारित/नियत नही किए गए थे। पूर्ण किए गए 10 सर्वेक्षण कार्यों में, एपीआई चक्र पूर्ण करने में लिया गया समय 472 और 2005 दिनों के बीच का था।
- प्रगति पर 13 सर्वेक्षण कार्यो के संबंध में डाटा के अधिग्रहण/प्रसंस्करण की समाप्ति के बाद भी कार्य 330 दिन से 2069 दिनों तक अपूर्ण पड़े रहे। प्रगति पर दो सर्वेक्षण कार्यो अर्थात जगन-दिगबोई-2डी और नमसाई-3डी के संबंध में लेखापरीक्षा को डाटा की व्याख्या की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

- आन्तरिक रूप से किए गए छः सर्वेक्षणों के संबंध में, भूभौतिकि विभागने डाटा अधिग्रहण कार्य की समाप्ति के बाद प्रसंस्करण कार्य प्रारंभ करने में 25 से 464 दिन लगाए।
- भूभौतिकी विभाग द्वारा अधिग्रहण और प्रसंस्करण कार्य की समाप्ति और जी एवं आर विभाग द्वारा डाटा की व्याख्या को प्रारंभ करने के मध्य 135 से 1362 दिनों का व्यापक अन्तराल भी था।
- जबकि ओआईएल ठेकेदार के लिए समय सीमा निर्धारित कर रहा था, उसने अपने आन्तरिक सर्वेक्षणों के लिए कोई लक्ष्य तिथियां निर्धारित नही की थी। किसी प्रतिमान के अभाव में सर्वेक्षण कार्य की समय अनुसूची पर ओआईएल का कोई नियंत्रण नहीं था।

लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार करते हुए ओआईएल ने कहा (अप्रैल 2015) कि 10 पूर्ण कार्यों के संबंध मे विभिन्न सर्वेक्षणों के एपीआई चक्र में व्यापक भिन्नतांए प्राथमिक रूप से आन्तरिक क्षमता की कमी के कारण थी। इसके परिणामस्वरूप कतिपय मामलों में एपीआई चक्र कार्यों में अन्तराल आ गए और उन्हें मानकीकृत करना काफी कठिन हो गया यधपि व्यापक प्रतिमान मौजूद थे। तथापि भूकम्पीय डाटा प्रसंस्करण में आन्तरिक समर्थता को हाल ही में उन्नत किया गया था।

व्यापक प्रतिमानों की मौजूदगी के संबंध में तर्क संतोषजनक नही है क्योंकि ओआईएल ने अपने विचारों के समर्थन में कोई समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। एपीआई प्रसंस्करण की आन्तरिक समर्थता के उन्नयन की अपनी अक्षमता के कारण ओआईएल अधिक से अधिक आउटसोर्स सर्वेक्षण पर निर्भर करता रहा जिसके बारे में अनुवर्ती पैराग्राफों में टिप्पणी की गई है।

4.2.2. आऊटसोर्सड सर्वेक्षण

असम एवं असम अराकन बेसिन में विभिन्न ब्लाकों से संबंधित एपीआई चक्र के लिए बारह ठेके आउटसोर्स किए गए थे। इनमेंसे आठ ठेके अधिग्रहण/अधिग्रहण और प्रसंस्करण कार्य के लिए थे और बकाया चार ठेके प्रसंस्करण के लिए थे जिनमें डाटा की व्याख्या शामिल थी। सभी 12 आउटसोर्स ठेको के संबंध में एपीआई चक्र के लिए, लिए गए समय का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2 – एपीआई की पूर्णता में विलम्ब

ब्लाक का नाम	कार्य का प्रकार	ठेका सं.	ठेकेदार को दिया गया समय (महिनों में)	एपीआई पूर्ण करने में लिया गया वास्त्तविक समय (महिनों में)	लिया गया अधिक समय (महिनों में)
मिजोरम	2डी अधिग्रहण	6102311	22.5	29.9	7.4
	2डी प्रसंस्करण एवं व्याख्या	6102869	18	37.9	19.9
	3डी अधिग्रहण	6204629	11	12.7	1.7
कर्बी अंगलोगं	2डी अधिग्रहण	6103105	15	24.3	9.3
अमगुरी एवं डिबरूगढ	3डी अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण	6102308	15	10.5	कोई विलम्ब नहीं
अमगुरी	3डी व्याख्या	6102789	1.5	5.1	3.6
डिबरूगढ	3डी व्याख्या	6102789	2	4	2
सदिया	3डी अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण	6102875	11	12	1
	3डी व्याख्या	6102789	उन*	उन *	उन *
नमचिक पीईएल एवं निन्ग्यु एमल	2डी भूकम्पीय डॉटा अधिग्रहण	6102866	24.5	27.6	3.1
देओमाली एवं नमचिक पीईएल	2डी डॉटा अधिग्रहण	6102495	13.5	18.8	5.3
खरसंग/शोंगकिंग	2डी डॉटा अधिग्रहण	6102582	54	53	कोई विलम्ब नहीं

टिप्पणी: *उपलब्ध नही

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- 12 ठेकों में से नौ ठेकों (75 प्रतिशत) में लिया गया अधिक समय एक महीने ओर 20 महीने के बीच था यधपि केवल पांच ठेकों के मामले में पाया गया कि ठेकेदार क्षति निवारण हर्जाना (एलडी) पर लगाई गई थी।
- भूकम्पीय डाटा के अधिग्रहण के लिए फील्ड अवधि सामान्यतया अक्टूबर से प्रारंभ होती है और अगले वर्ष मई तक चलती है जिन्हें परिचालन महीने कहा जाता है। मानसून विराम जून से सितम्बर के महीने कवर करता है जिसके दौरान अत्यधिक जलवायु परिस्थतियों के कारण कार्य रोक दिया जाता है। तथापि ओआईएल ने कोई प्रतिमान या दिशानिर्देश नही बनाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सर्वेक्षण कार्य

का कार्यक्रम तैयार किया जाए और ठेके सामयिक तरीके से दिए जाएं, ताकि मानसून विराम के कारण सर्वेक्षण कार्य के निष्पादन में रूकावट न आए।

- असम एवं असम अराकन में, 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 2डी/3डी भूकम्पीय डाटा के अधिग्रहण के लिए आठ[22] सर्वेक्षण ठेके निष्पादित किए गए थे, जिनमें से अक्टूबर में फील्ड मौसम की शुरूआत के प्रति दो सर्वेक्षण ठेके[23] क्रमश: फरवरी 2009 और नवम्बर 2008 में जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप क्रमश: पांच महीने और एक महीने की हानि हुई।

ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि कुछ ब्लाकों में पीईएल विलेख मई - जून के महीने में हस्ताक्षर की गई थी जिसके कारण नवम्बर और फरवरी में ठेके दिए गए थे और ऐसे मामलों में समय प्रबंधन ओआईएल के हाथ में नही था।

ओआईएल का उत्तर इस संदर्भ मे देखने की आवश्यकता है कि सादिया और कर्बी अंगलोंग के लिए दिए गए सर्वेक्षण ठेको के मामले में पीईएल के हस्ताक्षर करने की तिथि क्रमश: सितम्बर 2005 और फरवरी 2004 थी जबकि ठेके देने की तिथि फरवरी 2009 और नवम्बर 2008 थी। इस प्रकार मानसून विराम से बचने की पर्याप्त गुंजाइश थी।

4.3 सर्वेक्षण प्रक्रिया में उदाहरणात्मक मामले

(i) ठेकागत खण्ड में कमी जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया

ओआईएल ने एनईएलपी - IX के अन्तर्गत सादिया ब्लाक (एए-ऑएनएन-2010/3) के 3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिए ₹ 3.10 करोड़ की कुल लागत से मै. नरेन सोनोवाल एंड संस (एनएसएस) को श्रमबल आपूर्ति ठेका[24] दिया (अक्तूबर 2013)। ठेकागत बाध्यता के अननुपालन के कारण, उपरोक्त ठेके को समाप्त कर दिया गया था। इसके बदले में, ओआईएल ने बाकि कार्य करने के लिए ₹ 4.98 करोड़ (सेवा कर सहित) की लागत से मै. आर. सी. दास एंड संस (आरसीडीएस) के साथ दूसरे ठेके[25] को अन्तिम रूप दिया।

---

[22] खरसंक/शोकंग्किंग (2डी) , मिजोरम (2डी), मिजोरम (3डी), कर्बी-अंगलोंग (2डी), अमगुरी एवं डिब्रूगढ (3डी), सादिया (3डी), नामचिक (2डी), पीईएल एवं निगुं एमएल, दयोमाली एवं नामचिक पीईएल (2डी)

[23] सादिया (3डी) और कर्बी अंगलांग (2डी)

[24] ठेका सं. सीडीआई 6107584

[25] सीडीआई 6205280

ठेका की विशेष शर्तो (एससीसी) के खण्ड 19.01 के अनुसार यदि एक ठेकेदार समय के अन्दर अपनी ठेकागत बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ओआईएल स्वंय या अपनी पसंद की किसी तीसरी पार्टी द्वारा कार्य पूरा करवाएगा और ठेकेदार संभलाई प्रभारों के प्रति 'वास्तव' जमा 10 प्रतिशत के अनुसार लागत की प्रतिपूर्ति करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एनएसएस के साथ ठेका की समाप्ति (फरवरी 2014) के बाद, ओआईएल ने निर्णय लिया (अगस्त 2014) कि ठेका के गैर निष्पादन में शामिल अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जानी थी, वह भी केवल आरसीडीएस द्वारा कार्य के पूर्ण करने के बाद, जो कि लम्बित था (अप्रैल 2015)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि यधपि प्रतिपूर्ति 'वास्तविक लागत' जमा 10 प्रतिशत के बजाय सम्भलाई प्रभारो के प्रति विभेदक राशि जमा 10 प्रतिशत पर होनी थी, फिर भी आईओएल एनएसएस के साथ निष्पादित ठेके में ऐसे खण्ड को समाविष्ट नही करने के कारण इसे लागू नही कर सका। परिणामस्वरूप, आईओएल चूककर्त्ता ठेकेदार के प्रति कारण बताओ नोटिस जारी करने के अलावा विभेदक राशि (10 प्रतिशत सम्भलाई प्रभारो के अतिरिक्त) होने के नाते ₹ 1.88 करोड़ (₹ 4.98 करोड़ - ₹ 3.10 करोड़) की राशि की वसूली करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ नही कर सका। यह भी देखा गया कि ठेको की सामान्य शर्तों(जी सी सी) के खण्ड 25 के अनुसार वसूली योग्य राशि को ठेकेदार को देय या भुगतान योग्य किसी राशि के प्रति इस ठेका या किसी अन्य ठेके के अन्तर्गत (उन्हें वापिस करने वाले सुरक्षा प्रतिभूति सहित) समयोजित किया जा सकता है। तथापि जी सी सी के खण्ड 25 के प्रावधान का प्रयोग नही किया गया। इसलिए, ओआईएल आज तक (अप्रैल 2015) न तो उसी पार्टी द्वारा किसी अन्य ठेके के प्रति वसूली योग्य राशि का समायोजन कर सका और न ही निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) को जब्त कर सका। तथापि, ओआईएल ने भविष्य की सभी निविदाओं के लिए उचित रूप से खण्ड में संशोधन करने का निर्णय लिया।

अत: दोषपूर्ण ठेका खण्ड समाविष्ट करने के कारण ओआईएल ठेकेदार के प्रति सम्भलाई प्रभारो के अलावा ₹ 1.88 करोड़ की वसूली करने की कार्रवाई प्रारंभ नही कर सका और इसके खण्ड लागू करने के लिए भविष्य में मुकदमबाजी भी हो सकती है।

लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकारते समय, ओआईएल ने कहा (अप्रैल 2015) कि केवल एक अन्य समाप्त हुए ठेके[26] की प्रति ठेकेदार का प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा ओआईएल

[26] ठेका सं. 6107586

के पास उपलब्ध थी। चूंकि सादिया में बाकि भूकम्पीय डाटा के अधिग्रहण का कार्य अभी भी आरसीडीएस[27], द्वारा किया जा रहा था, इसलिए एनएसएस से काटी जाने वाली निश्चित राशि का अनुमान लगाना संभव नही था। अत: सही विभेदक राशि का पता लगाने के लिए प्रतिस्थापन ठेके की समाप्ति की प्रतीक्षा करना समझदारी थी और तदनुसार एनएसएस से लागत की वसूली हेतु आवश्यक सलाह दी जाएगी।

तथापि तथ्य यह रह जाता है कि सम्भलाई प्रभारों के अलावा चूककर्ता ठेकेदार से वसूली योग्य ₹ 1.88 करोड़ में से सभी समाप्त और मौजूदा ठेकों में से ₹ 36.72 लाख की प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा ओआईएल के पास उपलब्ध थी।

(ii) ठेकागत खण्ड में कमी के परिणामस्वरूप शास्ति का भुगतान

सादिया (एनईएलपी - V के अन्तर्गत एए - ओएनएन - 2003/3) ब्लाक नवम्बर 2006 से मई 2010 से अन्वेषण की वैधता के साथ छ: महीनों के विस्तारण सहित ओआईएल को दिया गया था। ओआईएल ने 3 डी भूकम्पीय डाटा के 275 वर्ग कि.मि. के अधिग्रहण और प्रसंस्करण के लिए दिसम्बर 2006 मै. केसीएस, कजाकिस्तान को ठेका दिया। ठेका अत्यधिक खराब निष्पादन ओर मैसर्स केसीएस द्वारा किसी उपयोग योग्य 3 डी डॉटा के अधिग्रहण न करने कारण बाद में समाप्त कर दिया गया था।

अक्तूबर 2008 में एक नया ठेका मार्च 2010 तक कार्य के पूरा होने की नियत तारिख सहित 3 डी भूकम्पीय डॉटा के 275 कि.मी. के अधिग्रहण और प्रसंस्करण के लिए मैसर्स जी टी पोलेंड को दिया गया था। चूंकि कार्य की पूर्णता प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्लयूपी) को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण थी और ठेकेदार कार्य पूरा नहीं कर सका इसलिए ठेका अवधि को जुलाई 2010 तक चार महीने के लिए विस्तारित किया गया था। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना उचित होगा कि ब्लाक की वैधता मई 2010 में समाप्त हो गई थी। तथापि ठेकेदार विस्तारित अवधि (जुलाई 2010) तक 275 वर्ग कि.मि. के 3 डी भूकम्पीय डाटा के प्रति केवल 217.536 वर्ग कि.मी. ही अधिग्रहित कर सका था।

ओआईएल ने डीजीएच/एमओपीएनजी को अन्वेषण कार्य जारी रखने के लिए विशेष छूट के अन्तर्गत 42 महीन का विस्तार प्रदान करने हेतू निवेदन किया (मई 2010) जिसे सितम्बर 2010 में एमओपीएनजी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। एमडब्ल्यूपी के पूरा न होने के

[27] सादिया में प्रतिस्थापन ठेका सीडीआई 6205280

कारण,ओआईएल को एमओपीएनजी को अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत के लिए ₹ 19.79 करोड़ की राशि का भुगतान करना पड़ा था। (85 प्रतिशत ओआईएल पीआई शेयर)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मै. जी टी पोलेंड के साथ ठेके को अन्तिम रूप देते समय, ओआईएल ने ठेकेदार से निर्धारित समय के अन्दर ठेका कार्य के पूरा न करने के लिए किसी राशि रोकने/वसूली प्रभावित करने के लिए कोई वैध ठेका खण्ड नहीं बनाया था। यधपि ठेके में मोबीलाइजेशन में विलम्ब के लिए निर्णित हर्जाने (एल डी) लगाने के लिए प्रावधान था, किन्तु अधिग्रहण और प्रसंस्करण कार्य की पूर्णता में विलम्ब के लिए एलडी लगाने के लिए कोई प्रावधान नही था। इसके अलावा, ठेके के भाग। के खण्ड 12.1 के अनुसार, यह उल्लेख किया गया था कि अधिग्रहण और प्रसंस्करण की समाप्ति या ठेके की अवधि की समाप्ति या विस्तारण, यदि कोई हो तो, जो भी पहले हो पर ठेके को स्वत: ही समाप्त माना जाएगा। अत: उपरोक्त खण्ड के अनुसार, ठेका ठेकेदार द्वारा कार्य की पूर्णता से पहले ही समाप्त माना जाना था।

यधपि, ओआईएल ने एमओपीएनजी को अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत के प्रति ₹ 19.79 करोड का भुगतान कर दिया था, फिर भी ओआईएल के हित की रक्षा के लिए ठेके में अधिग्रहण और प्रसंस्करण कार्य की पूर्णता में विलमब के लिए एलडी लगाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

ओआईएल ने लेखा तर्क को स्वीकार किया।

(iii) मूल्य संवर्धन के बिना भूकम्पीय सर्वेक्षण पर व्यय

असम में 84 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करने वाला एए - ओएनएन- 2009/4 (टोइक) ब्लाक एनईएलपी-VIII में ओआईएल (50 प्रतिशत) और ओएनजीसी (50 प्रतिशत) के संघ को दिया गया था जिसमें ओआईएल एक प्रचालक था। एमडब्ल्यूपी के अनुसार, प्रचालक को चरण-। के दौरान सात कुओं की ड्रिलिंग के साथ 45 एलकेएम और 201 एलकेएम के 2 डी एपीआई और 3 डी एपीआई के 84 वर्ग कि.मी. की ड्रिलिंग अनिवार्य रूप से करनी थी। ओआईएल ने डीजीएच को पीएससी[28]/(एनईएलपी-IX) के खण्ड 5.2[29] के अनुसार अनिवार्य 2 डी एपीआई के

[28] उत्पादन भगीदारी ठेका

[29] यदि 3 डी भूकम्पीय एपीआई का कार्य कार्यक्रम ठेका क्षेत्र के आकार के बराबर है तो ठेकेदार को 2 डी भूकम्पीय अनिवार्य कार्य कार्यक्रम करने के लिए छूट दी जाएगी।

कार्य करने से छूट के लिए निवेदन किया क्योंकि समस्त 84 वर्ग कि.मि. का ब्लाक क्षेत्र 3 डी भूकम्पीय सर्वेक्षणके तहत कवर होगा।

तथापि, डीजीएच द्वारा ओआईएल का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया (जनवरी 2013) क्योंकि ब्लाक एनईएलपी - VIII के अन्तर्गत दिया गया था। एनईएलपी - VIII - पीएससी प्रावधान के अनुसार, यदि ओआईएल अनुच्छेद में विर्निष्दिट ग्रिड आकार के 2 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण द्वारा ठेका क्षेत्र के किसी भाग को कवर करने में समर्थ नही था फिर भी ओआईएल को प्रबंधन समिति को अनिवार्य कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) में कमी के प्रतिस्थापन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। तथापि ओआइर्एल ने एमडब्ल्यूपी में कमी के प्रतिस्थापन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया और प्रतिबद्ध एमडब्ल्यूपी के अनुसार 2 डी एपीआई कार्य किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमडब्ल्यूपी में कमी के प्रतिस्थापन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत ने करने के कारण, एक प्रचालक के रूप में ओआईएल को 2 डी एपीआई के प्रति ₹ 29 करोंड़ को व्यय करना किसी मूल्य संवर्धन के बिना पड़ा था।

ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि एमडब्ल्यूपी प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में उसने अन्य कार्य योजनाओं सहित 201 एलकेएम 2 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण और 45 एलकेएम अनिवार्य 2डी सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया था। ताकि उसी ठेके का उपयोग करते हुए एक ही बार में कार्य पूरा हो सके जिसके परिणामस्वरूप समय और लागत की बचत हो इसलिए इसने अनिवार्य 246 एलकेएम 2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण को जोड़ने का फैसला किया। ओआईएल ने ब्लाक में अनिवार्य 2 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण की जगह प्रतिस्थापित कार्य कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं दिया।

ओआईएल का तर्क इस संदर्भ मे देखने की आवश्यकता है कि ओआईएल ने स्वयं डीजीएच को प्रस्ताव दिया था कि जब समस्त ब्लाक क्षेत्र 3 डी एपीआई द्वारा कवर था तो 2 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण करते हुए कोई मूल्य संवर्धन नहीं होगा।

एनईएलपी - VIII के पीएससी प्रावधान के अनुसार, ओआईएल को एमडब्ल्यूपी के अनुसार 2 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण में कमी के प्रतिस्थापन के लिए डी जी एच को नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

एमओपीएनजी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2015)।